राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम-
मिनिरत्न कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012।
फैक्स- 011- 25846462

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295
e-mail – nsc@indiaseeds.com
CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH,

सं0 के.रा.फा. / सर0 / कृषि / 28 / 2018–19 / – दिनांक 18.03.2019

## केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ में हिस्सा आधार पर बीजोत्पादन हेतु निविदा आमंत्रण सूचना–

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ जिला–श्रीगंगानगर(राज.) में वर्ष 2019–20 में हिस्सा आधारित बीजोत्पादन एवं मय भूमि सुधार हिस्सा आधारित बीजोत्पादन 01 वर्ष, 02 वर्ष एवं 03 वर्षों हेतु इच्छुक निविदादाताओं से मोहरबन्द निविदायें आंमत्रित की जाती है।

निविदा प्रपत्र एवं कार्य की नियम व शर्तें किसी भी कार्य दिवस में फार्म के कृषि कार्यालय से रू 500 / – नकद शुल्क अप्रतिदेय (Non-refundable) जमा करवाकर प्राप्त की जा सकती है। निविदा प्रपत्र , नियम व शर्तें निगम की बेवसाईट www.indiaseeds.com से भी डाउनलोड की जा सकती है परन्तु निविदा प्रपत्र की निर्धारित राशि रू 500 / – की कैश रसीद निविदा देते समय साथ में संलग्न करना आवश्यक होगा अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी।

खरीफ 2019 व रबी–2019–20, खरीफ 2020 व रबी 2020–21 तथा खरीफ 2021, रबी 2021–22में हिस्सा आधारित पद्वति पर बीजोत्पादन हेतु लगभग 908.80 हेक्टेयर में निविदा की नियम एवं शर्तो पर निम्न चकों में कराया जाना प्रस्तावित है:–

| चक सं0 | हिस्सा आधारित बीजोत्पादन क्षेत्रफल हे0 में | किया जाने वाला भूमि सुधार क्षेत्रफल हे0 में | वर्ष जिसके लिये हिस्सा आधारित बीजोत्पादन कार्य दिया जाना प्रस्तावित है। |
|---|---|---|---|
| 42 PBN | 80.80 | 57.00 | 2019-20 & 2020-21 (2 वर्ष ) |
| 43 PBN Lot-1 | 38.40 | 12.40 | 2019-20 (1 वर्ष ) |
| 43 PBN Lot-2 | 38.80 | 0.00 | 2019-20 (1 वर्ष ) |
| 44 PBN | 80.40 | 0.00 | 2019-20 (1 वर्ष ) |
| 45 PBN | 62.40 | 0.00 | 2019-20 (1 वर्ष ) |
| 47 A | 134.80 | 0.00 | 2019-20 (1 वर्ष ) |
| 48 PBN Lot- 2 | 73.20 | 20.80 | 2019-20 & 2020-21 (2 वर्ष ) |
| 50 PBN Lot- 2 | 142.00 | 46.00 | 2019-20 & 2020-21 (2 वर्ष ) |
| 51 A | 149.40 | 0.00 | 2019-20 (1 वर्ष ) |
| 52 PBN Lot- 4 | 53.60 | 26.00 | 2019-20, 2020-21 & 2021-22 (3 वर्ष ) |
| 52 PBN Lot- 5 | 55.00 | 12.00 | 2019-20 & 2020-21 (2 वर्ष ) |
| **Total** | **908.80** | **174.20** | |

निविदा के साथ रू 1500 / – प्रति हैक्टेयर की दर से अमानत राशि का डी.डी./RTGS जो कि नेषनल सीडस कॉरपोरेषन लिमिटेड, सरदारगढ़ के नाम से सूरतगढ़ में देय हो निविदा के साथ संलग्न कराना होगा। निविदा प्रपत्र दिनांक 02.04.2019 को अपरान्ह 2 बजे तक विक्रय किये जायेंगे तथा सांय 3 बजे तक जमा किये जायेंगे, प्राप्त निविदायें उसी दिन उपस्थित निविदादाताओं / उनके प्रतिनिधि के समक्ष दिनांक 02.04.2019 को सांय 3.30 बजे खोली जायेंगी। निविदा के साथ पैन कार्ड और वोटर आई डी. / आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

निदेषक(फार्म)
के.रा.फार्म, सरदारगढ़

# राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

## केंद्रीय राज्य फार्म_सरदारगढ़ for northern farm.

## <u>समस्त शस्य क्रियाओं व प्रयोग मे लाये जाने वाले सभी आदानो की एवज में हिस्सा आधारित उत्पादन पद्धति के लिए नियम व शर्ते</u>।

1. निविदा में भाग लेने के लिए निविदादाता को धरोहर राशि रूपये 1500/- प्रति है0 मात्र डी.डी. **<u>(जो अनुसूचित बैंक द्वारा बना हुआ हो )</u>** द्वारा जो कि नेशनल सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड,_सरदारगढ़ के नाम देय हो, जमा कराना होगा। सफल निविदादाता की धरोहर राशि कार्य संतोषजनक ढंग से पूरा होने पर **<u>व अंतिम निपटान पूर्ण होने पर</u>** बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी। निविदादाताओं को अपना पैन कार्ड व स्थायी पता देना होगा।
2. खेती में इस्तेमाल होने वाले आवश्यक सभी इनपुट जैसे बीज, उर्वरक कृषि रसायन (कीट एंव बीमारी रसायन) स्वयं ठेकेदार के होंगे । बीज फार्म द्वारा भुगतान पर (ग्रोवर प्रोग्राम के अनुरूप) उपलब्ध कराया जायेगा । जिसका भुगतान निविदादाता से **<u>80% देय अग्रिम भुगतान राशि में समायोजित</u>** किया जायेगा । पानी नहर की उपलब्धतानुसाअर से उपलब्ध कराया जायेगा। गेंहू की फसल मे प्रोपीकोनाजोल (फंजीसाइड फफूदनाशक) दवा का छिडकाव, करनाल बंट नामक बिमारी के नियंत्रण के लिये करना अनिवार्य होगा। यदि ठेकेदार इस दवा का प्रबंध नही कर सकता तो फार्म अपने स्तर पर छिडकाव कराएगा, साधन ठेकेदार का होगा तथा दवा व साधन की कीमत उसके अंतिम भुगतान बिल मे से काट ली जायेगी। **<u>प्रस्तावित /आवंटित क्षेत्र मे फार्म पर कृषि कार्यो हेतु उपयोग मे लायी जाने वाली मशीनरी व उपकरण की लिस्ट निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ देनी होगी।</u>**
3. खेती से सम्बंधित समस्त कार्य जैसे जमीन की तैयारी, फसल बुआई-उर्वरक का इस्तेमाल, पलेवा, सिंचाई, कृषि रसायन का इस्तेमाल सिंचाई नालियों की साफ सफाई, फसल निराई गुडाई, रौगिंग, फसल की रखवाली, काटाई / गहाई, साफ उत्पादन को खलिहान पर पहुचांकर उतारने आदि में इस्तेमाल सभी श्रमिक व यांत्रिक ऑपरेशन निविदादाता को करने होंगे। इन सभी कार्यो में होने वाले खर्च के एवज मे फसल उत्पादन (साफ व गुणवता युक्त उत्पादन) के हिस्से की धनराशि प्रतिपूर्ति की जायेगी। जिसका निर्धारण टेण्डर के माध्यम से दो वर्ष__2018-19 तथा 2019-20 के लिये खरीफ 2018 व रबी 2018-19, खरीफ 2019 व 2019-20 सीजन में निर्धारित फसलों के उत्पादन के न्यूनतम हिस्सा मात्रा के आधार पर किया जायेगा। निविदादाता को देय हिस्से का मूल्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य के अनुसार 80% अग्रिम भुगतान के रूप मे फसल उत्पाद के खलिहान पर प्राप्ति होने पर किया जायेगा तथा शेष 20% भुगतान फसल उत्पाद की दर निश्चित होने के पश्चात किया जायेगा। यदि किसी फसल का समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित नही हुआ है तो ऐसी स्थिति में राजस्थान फार्मो के लिये श्रीगंगानगर मण्डी (मूंगफली व मोठ के लिए बीकनेर मण्डी) के आवक पिरियड के एक माह के अधिकतम व न्यूनतम दर के औसत के आधार पर भुगतान किया जायेगा। जिसका समय इस प्रकार होगा:- धांन-16 अक्टूबर से 15 नवम्बर तक, उडद, मूंग, मोठ व मूंगफली 1 नवम्बर से 30 नवम्बर व ग्वार-1 अक्टूबर से 31

अक्टूबर, सरसों-16 अप्रैल से 15 मई, चना-15 अप्रैल से 15 मई, गेहूं व जौ-15 मई से 15 जून होगा तथा हिसार फार्म के लिये धांन-16 अक्टूबर से 15 नवम्बर, उडद, मूंग, मोठ व मूंगफली 1 नवम्बर से 30 नवम्बर, ग्वार-1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर व सरसों, चना, मटर, मसूर -16 अप्रैल से 15 मई, गेहूं व जौ-15 मई से 30 जून होगा। यदि किसी दलहन फसल की जींस की दर हिसार / हरियाणा मण्डी में नही मिलती है तो यू०पी० की निर्धारित मण्डी की दर पर भुगतान करने का प्रावधान किया जायेगा।

क. यदि भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसी प्रकार का बोनस दिया जाता है तो उसे प्रतिपूर्ति होने वाली राशि में जोडा जाएगा।

ख. किसी अन्य फसल की उपज (निविदाकर्ता का हिस्सा ) जिसके लिए भारत सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित नही किया है, उसे संबंधित फसल के नजदीकी कृषि उत्पाद विपणन मंडी में औसतन मूल्य पर लिया जाएगा । 30 दिनों के लिए अधिकतम उपज के आगमन अवधि के दौरान संबंधित फसल की अधिकतम और न्यूनतम दर का औसतन दर निर्धारित की जाएगी । फसल के अधिकतम उपज के आगमन अवधि पर विचार निगम की न्यूनतम खरीद नीति के अनुसार होगा।

ग. जूट एंव सब्जी फसलों के रा सीड (निविदाकर्ता का हिस्सा ), क्षेत्रीय कार्यालय, सिकंदराबाद के प्रोक्यूरमेण्ट प्राइस से 20% कम दर पर खरीदे जायेगे। यदि किसी भी फसल का प्रोक्यूरमेण्ट प्राइस क्षेत्रीय कार्यालय, सिकंदराबाद में उपलब्ध नही है, तब खरीद मूल्य निगम की निर्धारित प्रोक्यूरमेण्ट प्राइस के अनुसार निर्धारित अनुसार किया जाएगा। किसानो को अग्रिम भुगतान निगम की खरीद नीति के अनुसार किया जाएगा।

घ. यदि बीज फसल परिपक्वता के समय अथवा पूर्व कटाई के समय बारिश अथवा मौसम की अनियमितता से बीज की खेती प्रभवित होती है और रा सीड क्षतिग्रस्त / फीके रंग के / खराब हो जाते है, तब ऐसी परिस्थितियों में, निविदाकर्ता के हिस्से के उपज को फार्म ग्रहण नही करेगा और कुल उपज में से फार्म के हिस्से की उपज रखने के पश्चात इसे वापस कर देगा। इस प्रकार निविदाकर्ता के खाते में किसी प्रकार के प्रतिपूर्ति नही की जायेगी।

ङ. खलिहान पर रा सीड के भौतिक, दोष की सीमा जैसे क्षतिग्रस्त / विचलित / खराब / फीका / कीटग्रस्त / सूखा अनाज / मिट्टी के कण इत्यादि अधिक पाए जाते हैं अर्थात 15% से अधिक पाए जाते हैं तब ऐसे लॉट की सफाई(निविदाकर्ता द्वारा) स्वयं के खर्चे पर करनी होगी और रा सीड गैर-बीज की मात्रा15% से अधिक नही होना चाहिए। इस प्रकार प्राप्त होने वाला गैर-बीज यदि कोई, तो क्रमश: फार्म के हिस्से का रखने के पश्चात संबंधित पार्टी को वापस कर दिया जाएगा।

च. निविदादाता द्वारा खलिहान पर पहुँचाए कम्बाइन मिक्सचर (Combine mixture) तथा रोगिंग मैटिरियल की मात्रा में से निविदादाता द्वारा फार्म के लिए कोट की गई मात्रा को रख कर शेष मात्रा को निविदादाता को वापस कर दिया जाएगा।

छ. सफल निविदादाता को रबी 2019-20 की बिजाई से पूर्व चक इंचार्ज द्वारा बताये गए मुरब्बों में भूमि सुधार कार्य को आवश्यक रूप से करना होगा एवं फार्म समिति उसे प्रमाणित करेगी एवं भूमि सुधार कार्य संतोषजनक होने पर ही आगामी वर्षो हेतू हिस्सा आधारित ठेका जारी रखा जायेगा। भूमि सुधार कार्य संतोषजनक नहीं किया

जाता है तो ठेका 01 वर्ष बाद निरस्त कर दिया जायेगा तथा जमा धरोहर राशी को जब्त कर लिया जायेगा।

ज. भूमि सुधार वाले क्षेत्रों में प्रथम वर्ष के पश्चात् 5% कि दर फार्म को अधिक देनी होगी। उदाहरण के रूप में यदि पहले वर्ष फार्म का हिस्सा 35% है तो वर्ष 2020-21 में 40% व अगर तीसरे वर्ष के लिये देना है तो 45% फार्म हिस्सा होगा ।

झ. भूमि सुधार क्षेत्रों में निविदादाता जुलीफेरा को जड़ सहित उखड़ेगा, बाहर निकालेगा एवं उसकी कुत्तर कर फार्म द्वारा निर्धारित दरो के आधार पर फार्म में राशी जमा कराकर अपने साधन से ले जायेगा । जुलीफेरा की जड़े निविदादाता की होगी ।

ञ. फार्म की मिटटी/रेत इत्यादि फार्म से स्वीकृति परान्त निविदादाता द्वारा भूमि सुधार क्षेत्रों में मिलायी जा सकती है ।

4. कृषि प्रकिया का निर्धारण, फसल व प्रजति का चयन आवश्यकतनुसार फार्म द्वारा बिजाई के पूर्व किया जायेगा।

5. निविदादाता द्वारा सम्बंधित चक के सभी कार्य खेत की तैयारी से लेकर प्राप्त उत्पादन को खलिहान पर पंहुचा कर उतारने तक का कार्य सम्बंधित चक ईचांर्ज, खण्ड प्रभारी व फार्म अधिकारियों के निर्देशनुसार निर्धारित समयावधि व मापदण्डों के अनुसार करना होगा। सफल निविदादाता यदि कोई भूमि सुधार (जैसे भूमि समतल आदि करना) का कार्य करता है तो उस खर्च को ठेकेदार स्वंय वहन करेगा।

6. निविदादाता को सिंचाई हेतू पानी दिन रात नहर में पानी की सप्लाई में उपलब्ध पानी पर आधारित रहेगा। यदि पानी की कमी होती है तो निविदादाता स्वंय यदि कोई व्यवस्था करता हैं वह व्यवस्था करने को स्वतंत्र होगा तथा उसका खर्च भी सफल निविदादाता को ही वहन करना होगा। यदि निविदादाता फार्म चक पर टयूबवैल लगाता है तो कार्य पूरा होने पर फार्म प्रशासन व निविदादाता की सहमति से निर्णय होगा कि टयूबवैल फार्म पर रखने है या निविदादाता उखाड कर ले जायेगा। टयूबवैल व अन्य मशीन चलाने के लिये बिजली का कनेक्शन लेने के लिये फार्म की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

7. बीज उत्पादन के लिए पृथककरण दूरी, रोगिंग आदि निर्धारित मापदण्डों के अनुसार निविदादाता को चक प्रभारी / खण्ड प्रभारी के दिशा निर्देशों के अनुसार करने होगें। बीज प्रमाणीकरण से संबधित बीज प्रमाणीकरण संस्था को देय फीस पहलीवार फार्म द्वारा वहन की जायेगी। यदि सही तरीके से रोगिंग न करने के कारण पुन: निरीक्षण किया जाता है तो उसकी फीस निविदादाता को भरनी होगी।

   यदि कोई क्षेत्र बीज प्रमाणिकरण संस्था द्वारा फेल होता है तो उससे प्राप्त फसल उत्पाद का भुगतान सूरतगढ़ मंडी के (मूंगफली व मोठ के लिए बीकनेर मण्डी) के न्यूनतम औसत दर से उसका भुगतान किया जायेगा। तथा हिसार फार्म के उत्पाद के लिये हिसार मण्डी को माना जायेगा।

8. विभिन्न प्रकार के कार्यो के दौरान किसी भी प्रकार की जन धन की हानि एवम दुर्घटना की वैधानिक व सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता द्वारा लगाये गये श्रमिकों को देय मजदूरी ईपीएफ, टीडीएस, दुर्घटना मुआवजा तथा समस्त वैधानिक देनदारी व दायित्व निविदादाता का होगा यदि फार्म को किसी मामलें में निविदादाता की ओर से उस दायित्व निर्वाह में कोई भुगतान करना पडा तो फार्म मय हर्जे, खर्चे को निविदादाता को देय राशि से काटने अथवा समायोजित करने को स्वतंत्र होगा।

9. कटाई, थ्रेसिंग के बाद प्राप्त होनेवाला सम्पूर्ण साफ उत्पाद को सुखाकर बोरी भरकर व सिलाई करके मानक के अनुसार निर्धारित नमी पर रॉ बीज फार्म को देना होगा। उसके

उपरांत पल्लेदारी का कार्य फार्म द्वारा कराया जायेगा तथा वारदाना फार्म द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। मौसम खराब होने की दशा में यदि अधिक नमी पर बिना साफ किया उत्पाद गोदाम में लगाना पडा तो फार्म द्वारा निर्धारित कमेटी द्वारा नमी का आंकलन करने के बाद निर्धारित आवश्यक कटौती की जायेगी।

10. उत्पादन को भण्डारण के समय फार्म द्वारा निर्धारित मानक नमी पर रॉ बीज स्टोर मे लिया जायेगा।
11. संबधित क्षेत्र में स्थित समस्त चल अचल सम्पति की सुरक्षा की जिम्मेवारी निविदादाता की होगी, वह इस बाबत एक हल्फनामा (अण्डर टेकिंग) देगा व यथास्थिति में कार्य पूर्ण होने पर इन्हे वापस फार्म को सम्भलवायेगा। फार्म की उक्त चल अचल सम्पति का निविदादाता व्यवसायिक उपयोग नहीं करेगा। तथा कोई स्थाई निर्माण कार्य नही करेगा। फार्म से संबधित क्षेत्र की संपत्तियों में किसी भी प्रकार के नुकसान, चोरी आदि की भरपाई निविदादाता से वसूली जायेगी।
12. संबधित प्रक्षेत्र पर पशुधन रखने एवम अन्य क्रियाओं की अनुमति नही होगी।
13. संबधित प्रक्षेत्र पर कौनसी फसल व किस्म कितने प्रक्षेत्र में ली जानी है उसका निर्धारण फार्म प्रबंधन द्वारा किया जायेगा। तथा फसल का क्षेत्र, बुवाई का समय मौसम की अनुकूलता व प्रतिकूलता एंव सिंचाई पानी की उपलब्धता को ध्यान मे रखते हुए फार्म प्रबंधन द्वारा घटाया व बढाया जा सकता है।
14. निविदा में दिए गये एरिया को कम व ज्यादा करने एंव निविदा स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार फार्म निदेशक को होगा।
15. फसल कटाई के उपरांत पशु, भेड बकरी चराई से जो आय प्राप्त होगी वह फार्म की होगी।
16. फार्म से कृषि उपकरण देने या न देने का निर्णय फार्म का होगा। यदि फार्म का कृषि उपकरण / मशीनरी उपयोग में आयी तो उसका निर्धारित किराया फार्म मे जमा कराना होगा।
17. हिसार फार्म पर गेंहू फसल के अलावा व राजस्थान के फार्मो पर सभी फसलों का नीरा गूणा (भूसा व तूडी) निविदादाता का होगा जिसका निस्तारण गहाई के 15 दिवस के अंदर वह स्वंय करेगा।
18. फसल कटाई, गहाई आदि का कार्य निधारित समय सीमा एंव फार्म प्रतिनिधि की उपस्थिति मे करना होगा।
19. प्रत्येक फसल व प्रजाति के उत्पादन का लक्ष्य फार्म द्वारा निर्धारित किया जायेगा। यदि लक्ष्य से कम उत्पादन आता है तो ऐसी स्थिति मे फार्म द्वारा गठित समिति द्वारा कम उत्पादन आने के कारणों की समीक्षा की जायेगी। यदि निविदादाता की तरफ से फसल उत्पादन मे कमी पायी जाती है तब निविदादाता इस कमी की भरपाई करेगा जिसका आंकलन फार्म द्वारा गठित कमेटी करेगी। निविदादाता का न्यूनतम उत्पादन लक्ष्य फार्म के औसत उत्पादन के बराबर होगा।
20. निविदादाता को उर्वरक का उपयोग मृदा परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर करना होगा तथा बायोफर्टीलजर भी अधिकतर क्षेत्र मे प्रयोग करना होगा।
21. निविदादाता द्वारा कीटं व बीमारी प्रबंधन के लिये अधिकतर क्षेत्र मे आई.पी.एम. प्रकिया अपनानी होगी।
22. फसल उत्पादन मे होने वाले नुकसान व चोरी आदि की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

23. यदि किसी चक में भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र / थेडी है तो निविदादाता द्वारा उक्त क्षेत्र से कोई छेडछाड नही की जायेगी तथा कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार की खनन गतिविधि नही की जायेगी।

24. निविदादाता को कार्य के किसी भी क्षेत्र को सबलेट करने का अधिकार नही होगा।

25. हिस्सा आधारित खेती में इस्तेमाल आउटसोर्सिग का कार्य फसल वर्ष_2019-20 (खरीफ-2019 व रबी-_2019-20 के लिए होगा। **भविष्य में वोर्ड की स्वीकृति मिलने पर यह आऊट सोर्सिंग का कार्य अन्य एक वर्ष के लिये आपसी सहमति से बढाया जा सकता है।**

26. यदि निविदाकर्ता द्वारा निर्धारित कार्य उचित समय पर नही किया जाता है, तब फार्म निविदाकर्ता के जोखिम एंव लागत पर निर्धारित कार्य संचालन का अधिकार होगा और निविदाकर्ता को प्रतिपूर्ति किये जाने वाली अंतिम राशि से कार्य संचालन की लागत के साथ-साथ 5% प्रवेक्षण प्रभार की भी कटौती की जाएगी। यदि वह एक सीजन मे इस प्रकार की गलती तीन बार दोहराता है तब बिना कोई सूचना के उसका करार समाप्त कर दिया जाएगा और उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। उसे भविष्य मे निविदा मे भी भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा, साथ ही उसकी धरोहर राशि भी जब्त कर दी जाएगी।

27. निविदाकर्ता को उसके द्वारा खरीदे जाने वाले 100/- रू० के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर इन नियमों व शर्तो को करार के रूप मे हस्ताक्षर करना होगा मूल करार फार्म के पास रहेगा और इसकी प्रमाणित प्रति निविदाकर्ता को दी जाएगी।

28. विशेष प्राकृतिक आपदा / परिस्थितियां जिनका पुर्वानुमान / नियंत्रण / निदान सम्भव नही हो, की स्थिति मे यदि निविदादाता अनुबंध की शर्तो को पूरा नही कर पाता है तो ऐसी स्थिति मे फार्म द्वारा गठित समिति के आंकलन के आधार पर निर्णय लिया जायेगा जो दोनो पक्षों को मान्य होगा।

29. पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति मे अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली अथवा उनके द्वारा नामित एकल आर्बिट्रटर का निर्णय अंतिम होगा जो कि पक्षकारान को मान्य होगा। न्यायिक मामले उस न्यायलय में क्षेत्राधिकार माना जायेगा जिसके अंतर्गत एकल मध्यस्थ के सुनवाई होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर                                        प्रबन्धक (उत्पादन)

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम-
मिनिरत्न कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012।
फैक्स- 011- 25846462

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295
e-mail – nsc@indiaseeds.com
CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH,

दिनांकः–02.04.2019

टोकन सख्या.......................

–––निविदा पत्र–––

समस्त कृषि क्रियाओं व प्रयोग में लाये जाने वाले सभी आदानों की एवज में हिस्सा आधारित बीजोत्पादन पद्धति के आधार पर वर्ष 2019–20 में खरीफ–2019, रबी 2019–20 में एवं नियम शर्तानुसार भूमि सुधार क्षेत्रों में एक या एक से अधिक वर्ष हेतु हिस्सा आधारित बीजोत्पादन केन्द्रीय राज्य फार्म सरदारगढ जिला श्री गंगानगर की जमीन पर बीज उत्पादन के लिए ली लाने वाली दरें निम्न विवरण अनुसार प्रस्तुत है।

1. निविदादाता का नाम व पता.....................................................................................................
2. वोटर आई कार्ड/आधार कार्ड नं.(प्रतिलिपि सहित)....................................................................
3. फोन न.......................................................................................................
4. पैन कार्ड नं. .(प्रतिलिपि सहित)...........................................................................
5. अमानत राषि का विवरण डी.डी न. सहित.........................................................

| चक सं0 | हिस्सा आधारित बीजोत्पादन हेतु कुल क्षेत्रफल हे0 में | भूमि सुधार क्षेत्रफल हे0 में | वर्ष जिसके लिये हिस्सा आधारित बीजोत्पादन कार्य दिया जाना प्रस्तावित है। | निविदादाता द्वारा वर्ष 2019–20 में ली जाने वाली फसल उत्पाद हिस्से की दर प्रतिषत में एवं फार्म की दी जाने वाली दर प्रतिषत में | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | निविदादाता द्वारा ली जाने वाली दर % | फार्म को दी जाने वाली दर % |
| 42 PBN | 80.80 | 57.00 | 2019-20 & 2020-21 (2 वर्ष ) | | |
| 43 PBN Lot-1 | 38.40 | 12.40 | 2019-20 (1 वर्ष ) | | |
| 43 PBN Lot-2 | 38.80 | 0.00 | 2019-20 (1 वर्ष ) | | |
| 44 PBN | 80.40 | 0.00 | 2019-20 (1 वर्ष ) | | |
| 45 PBN | 62.40 | 0.00 | 2019-20 (1 वर्ष ) | | |
| 47 A | 134.80 | 0.00 | 2019-20 (1 वर्ष ) | | |
| 48 PBN Lot- 2 | 73.20 | 20.80 | 2019-20 & 2020-21 (2 वर्ष ) | | |
| 50 PBN Lot- 2 | 142.00 | 46.00 | 2019-20 & 2020-21 (2 वर्ष ) | | |
| 51 A | 149.40 | 0.00 | 2019-20 (1 वर्ष ) | | |
| 52 PBN Lot- 4 | 53.60 | 26.00 | 2019-20, 2020-21 & 2021-22 (3 वर्ष ) | | |
| 52 PBN Lot- 5 | 55.00 | 12.00 | 2019-20 & 2020-21 (2 वर्ष ) | | |
| **Total** | **908.80** | **174.20** | | | |

मैनें निविदा की नियम एवं शर्तें अच्छी तरह पढ़ व समझ ली है। मैं फार्म दवारा निर्धारित नियम एवं शर्तो के अनुसार कार्य करने के लिए सहमत हूँ। इस आषय का षपथ पत्र रू 100/– के नॉन ज्यूडिषियल स्टाम्प पेपर पर कार्य स्वीकृत होने पर प्रस्तुत कर दूंगा। भूमि सुधार क्षेत्रों बहुवर्षीय हिस्सा आधारित बीजोत्पादन में द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में निविदादाता द्वारा फसल उत्पादन की फार्म को दी जाने वाली दर प्रतिषत उक्तानुसार वर्ष 2019–20 में प्रस्तुत दर प्रतिषत से क्रमषः 5% व 10% अधिक देय होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर